# गृह विभाग (पुलिस)
**विविध (17 जून 1948)**
**सं. B-2938/VIII-**

संयुक्त प्रांत होमगार्ड अध्यादेश 1948 द्वारा संशोधित है के अनुच्छेद 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के संपादन में राज्यपाल एतद् द्वारा संयुक्त प्रान्त रक्षक दल नियमावली की रचना करने एवं प्रख्यापित करने हेतु सहमत है और उक्त नियमावली सर्वसाधारण को सूचित करने हेतु यहां प्रकाशित है।

## संयुक्त प्रान्त रक्षक दल नियम-भाग १

1. (1) इन नियमों को संयुक्त प्रान्त रक्षक दल नियम, 1948 कहा जा सकता है।
(2) ये तत्काल प्रभावी होंगे।

2. इन नियमों में जब तक कि कोई वस्तु संदर्भ विषय के विरूद्ध असंगत नहीं हैं :-
(a) 'अधिनियम' का अर्थ है :-
संयुक्त प्रान्त होमगार्ड संशोधन अध्यादेश 1948 द्वारा संशोधित रूप में संयुक्त प्रान्त होम गार्ड अधिनियम 1947,
(b) 'प्रशासकीय समादेष्टा', 'राजपत्रित अधिकारी', 'समकक्ष रैंक के अवैतनिक अधिकारी तथा अराजपत्रित अधिकारी के अर्थ हैं दल में नियुक्त ऐसे अधिकारी।
(c) 'दल का अर्थ है प्रन्तीय रक्षक दल।
(d) 'नामांकन अधिकारी' का अर्थ है नियम 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ऐसा अधिकारी या समिति।
(e) 'प्रारूप' का अर्थ है नियमावली के अन्त में संलग्न प्रारूप।
(f) 'प्रान्त' का अर्थ है संयुक्त प्रान्त (अब उत्तर प्रदेश)
(g) 'रक्षक' का अर्थ है अधिकारी, लिपिक या चपरासी आदि के अतिरिक्त दल का सदस्य।
(h) 'अनुसूची' का अर्थ है नियमावली के अन्त में संलग्न अनुसूची।

3. राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति अथवा समिति को किसी भी क्षेत्र के नामांकन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है। नामांकन अधिकारी अपनी तैनाती के अधिकार क्षेत्र के किन्हीं भी व्यक्तियों को जो स्वयं को नामांकन हेतु प्रस्तुत करते हैं का नामांकन कर सकता है।

4. प्रत्येक व्यक्ति जो दल में नामांकित किया गया है यदि कार्यमुक्त या पदच्युत नहीं किया जाता है तो तीन वर्ष की अवधि या उसकी 50 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक दल का सदस्य बना रहेगा।

उक्त सीमाएं उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होतीं जिन्हें राज्य सरकार ने उनके सामुदायिक जीवन की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक उपलब्धि या किसी अन्य पहलू के आधार पर दल के अन्तर्गत कोई अवैतनिक पद प्रदान किया है।

5.(1) जब कोई व्यक्ति नामांकन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं को दल में नामांकन हेतु प्रस्तुत करता है तो नामांकन अधिकारी प्रारूप । में रखी गई शर्तों को उसे पढ़कर समझायेगा या पढ़वाकर समझवायेगा तथा उसे प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में सच बोलने के लिए आबद्ध होने हेतु सावधान करते हुए नामांकन फार्म में समाविष्ट प्रश्नों को उसके समक्ष रखेगा और ऐसे प्रश्नों के उत्तरों का अभिलेखन करेगा अथवा करवायेगा।

(2) नामांकन के लिए उपस्थित हुआ व्यक्ति प्रश्नों का उत्तर देते समय सच्चाई बयान करने के लिए बचनवद्ध होगा।

(3) उपनियम (1) के प्राविधानों को पूरा किये जाने के उपरान्त यदि नामांकन के लिए प्रस्तुत व्यक्ति प्रश्नों को ठीक से समझता है और प्रारूप में प्रस्तुत शर्तों को स्वीकार करता है तो नामांकन अधिकारी संतुष्ट होने और नामांकन हेतु कोई अड़चन नहीं देखने की स्थिति में प्रारूप पर हस्ताक्षर कर देगा और उस वयक्ति से भी हस्ताक्षर करवा लेगा। इस प्रकार वह व्यक्ति विधिवत नामांकित किया गया माना जायेगा।

(4) कोई भी ऐसा व्यक्ति दल में नामांकित नहीं होगा जो-

(a) 18 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त कर पाया है अथवा 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है।
(b) चिकित्साधिकारी द्वारा दल की अभीष्ट सेवाओं हेतु उपयुक्त होने का प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त कर लिया है।
(c) नैतिक अधमता का समावेश करने वाले किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।
(d) पुलिस की निगरानी में है अथवा किसी प्रचलित कानून के किसी प्राविधान के अधीन निरुद्ध है।

विहित है कि क्राउन के उन सेवकों पर अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी जो दल में नियुक्त किये जा सकेंगे चाहे वे सक्रिय सूची में हों अथवा सेवानिवृत्त सूची में।

6. जब एक व्यक्ति नियम 5 के अधीन नामांकित किया जाता है तो नामांकन अधिकारी प्रारूप ॥ को पूर्ण करेगा जो कि भर्ती प्रमाण पत्र के रूप में माना जायेगा और सदस्य को निर्देशित करेगा कि वह तय स्थान पर तय समय में जिला संगठक को सूचित करे।

**7. चिकित्सकीय परीक्षण :-**

दल में नामांकन हेतु प्रस्तुत प्रत्येक व्यक्ति का चिकित्साधिकारी परीक्षण करेगा तथा अभ्यर्थी के नामांकन फार्म पर उसके शारीरिक दृष्टि से दल में सेवा करने संबंधी प्रत्येक पहलू पर उपयुक्त होने अथवा न होने संबंधी अपनी राय अंकित करेगा। चिकित्साधिकारी स्वयं को संतुष्ट करेगा कि दल में सेवा हेतु चिकित्सकीय दृष्टि से फिट प्रत्येक व्यक्ति प्रक्षेपित सेवांवधियों के लिए शारीरिक श्रम करने हेतु उपयुक्त है। किन्तु ऊँचाई, सीना मापें अथवा भार आदि शारीरिक मानकों पर जोर नहीं दिया जायेगा। सामान्य कार्यों के निष्पादन में बाधक न होने वाली अल्पांश अक्षमताओं को अनदेखा किया जा सकता है।

**8. सेवा की शर्तें :-**

(1) दल का प्रत्येक सदस्य ऐसे वेतन, भत्तों राशन तथा कपड़ों को प्राप्त करने का हकदार होगा जो समय समय पर अधिकथित किये जायें।
(ii) दल का प्रत्येक सदस्य ड्यूटी हेतु बुलाये जाने पर निशुल्क आवास एवं चिकित्सा सुविधा का हकदार होगा।

**9. स्वास्थ्य अधिकारी :-**

दल में नामांकन हेतु स्वयं को प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण करने हेतु राज्य सरकार किसी योग्यता प्राप्त व्यक्ति को स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में किसी यूनिट में अथवा एक यूनिट के किसी खंड में कार्य करने हेतु नियुक्त करेगी। उपबन्ध - किसी भी जिला परिषद अस्पताल (District Board Hospital) के चिकित्साधिकारी अथवा राज्य पुलिस के नियुक्त्यार्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण करने हेतु नियुक्त अधिकारी को इन नियमों के अधीन दल के अभ्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु नियुक्त किया गया माना जायेगा।

**10. स्थानांतरण**

(1) राज्य सरकार प्रत्येक यूनिट का एक मुख्यालय तय (Fix) करेगी और पूरी यूनिट अथवा उसके किसी भाग को राज्य के अन्दर एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानांतरित कर सकेगी।
(2) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस हेतु नियुक्त अधिकारी दल के किसी भी सदस्य का स्थानांतरण एक यूनिट (इकाई) से दूसरी यूनिट के लिए कर सकेगा।

**11. अवकाश**

दल का प्रत्येक पूर्णकालिक वैतनिक सदस्य सेवा की आवश्यकताओं के अधीन आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, चिकित्सकीय प्रमाण पत्र पर अवकाश प्रदान किये जाने हेतु वैसी ही निबंधन एवं शर्तों पर पात्र होगा जैसी कि राज्य सरकार के समान रैंक और स्टेटस के पुलिस के सदस्यों की है।

12. दल के पूर्णकालिक वैतनिक सदस्य राज्य सरकार के संगत रैंक और स्टेटस के अन्य स्थायी कर्मचारियों की भांति वेतन यात्रा भत्ता, भविष्यनिधि आदि के संबंध में समान निबन्धन एवं शर्तों (Terms and conditions) के अधीन होंगे।

**13. सेवामुक्ति (Discharge) या पदच्युति (dismissal)**

(1) दल का प्रत्येक सदस्य जिसे किसी भी न्यायालय ने दोषी पाया है और किसी भी अवधि के लिए जेल की सजा सुनाई है, सजा सुनाये जाने की तिथि से पदच्युत किया हुआ माना जायेगा।
(2) राज्य सरकार दल के किसी भी सदस्य को सेवामुक्त या पदच्युत कर सकती है। तथा
(3) प्रशासकीय समादेष्टा जिला संगठक के पद से नीचे वाले पद के किसी भी नामांकित सदस्य को सेवा मुक्त या पदच्युत कर सकता है।

**14. दल के गैर अधिकारी सदस्यों द्वारा कारित लघु अपराधों का गैर न्यायिक निस्तारण**

जब अधिकारी के अलावा रक्षक दल का कोई अन्य सदस्य अधिनियम के अनुच्छेद 11 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध से आरोपित होता है तो प्रशासकीय समादेष्टा या प्रशासकीय समादेष्टा द्वारा इस हेतु लिखित रूप से अधिकृत व्यक्ति, कोई भी राजपत्रित अधिकारी या समकक्ष अवैतनिक अधिकारी जिसके अधीन दल का सदस्य उस समय सेवा कर रहा है निर्देश कर सकता है कि आरोप का निस्तारण औपचारिक परीक्षण के बिना होगा और इस आधार पर टुकड़ी (detachment) को कमांड कर रहा अधिकारी ऐसे सदस्य को निम्नलिखित में से एक या अधिक दंड प्रदान कर सकता है।

(a) अधिकतम सात दिन तक किसी ऐसे स्थान पर जहां सुविधाजनक लगे निरूद्ध करना।
(b) व्यक्ति को क्वार्टर गार्ड में रखकर या बिना रखे हुए उससे दण्डात्मक व्यायाम या परेड, अतिरिक्त कार्य, छद्म या किसी अन्य प्रकार की ड्यूटी जो तीस दिन से अधिक न हो करवाना।
(c) अधिकतम एक माह के वेतन भत्ते से वंचित करना।

**15. रक्षक और अधिकारी के अतिरिक्त दल के अन्य सदस्यों द्वारा कारित लघु अपराधों का गैर अदालती निस्तारण :-**

जब रक्षा दल का एक सदस्य जो कि अराजपत्रित अधिकारी है अधिनियम के अनुच्छेद 11 के अन्तर्गत किसी दंडनीय अपराध से आरोपित है तो प्रशासकीय समादेष्टा या उनकी ओर से लिखित रूप में अधिकृत एक राजपत्रित अधिकारी अथवा समकक्ष अवैतनिक अधिकारी जिसके अधीन दल का सदस्य तत्कालीन समय में सेवाएं कर रहा है, बिना औपचारिक परीक्षण के ऐसे सदस्य को निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक दंड प्रदान कर सकता है:

(a) निम्नतर ग्रेड या रैंक में पदावनति
(b) एक माह से अनधिक अवधि के वेतन व भत्तों की कटौती
(c) पनिशमेंट ड्रिल, अतिरिक्त कार्य या अन्य ड्यूटी जो 30 दिन से अधिक नहीं हो।
(d) निन्दा या कड़ी निन्दा

**16. राजपत्रित अधिकारियों द्वारा कारित लघु अपराधों का गैर न्यायिक निस्तारण-**

जब एक राजपत्रित अधिकारी या एक समकक्ष अवैतनिक अधिकारी अधिनियम के अनुच्छेद 1 के अधीन दंडनीय अपराध से आरोपित होता है तो प्रशासकीय समादेष्टा बिना औपचारिक परीक्षण के निन्दा या कड़ी निन्दा कर सकता है या आदेश हेतु मामला राज्य सरकार को संदर्भित कर सकता है।

**17. दंड देने की राज्य सरकार की शक्तियां**

तत्प्रवृत्त किसी भी विधि या नियम के अधीन दंड देने की शक्तियों से प्रभावित हुए विना राज्य सरकार एक राजपत्रित अधिकारी अथवा एक समकक्ष अवैतनिक अधिकारी को निम्नलिखित में से कोई भी दंड प्रदान कर सकती है :-

(a) निन्दा या कड़ी निन्दा करना
(b) वैतनिक अधिकारी के वेतन से उसके द्वारा वरती गई लापरवाही से उत्पन्न हानि को पूरा करने हेतु कटौती करना।
(c) सेवा से वंचित करना और
(d) पदावनति।

**18. अपराधों के निपटारे की कार्यवाही की प्रक्रिया :-**

दल के किसी भी सदस्य को किसी भी अपराध के लिए जब तक कि मामले को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके उसके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित किये जाने के आधारों की सूचना उसको लिखित रूप में देकर उसे स्वयं की सफाई देने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए तथ्यों पर आधारित आदेश पारित नहीं किया जाता है पदच्युत या पदावनत नहीं किया जा सकता है।

19.(1) एक यूनिट का समादेशक अधिकारी इस हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अधीन यूनिट के मुख्यालय में एक स्थान अलग से तय करेगा जिसमें इन नियमों के अधीन निरूद्ध किये जाने हेतु आदेशित किये गये व्यक्तियों को निरूद्ध किया जा सके। ऐसे स्थान को गार्ड रूम कहा जायेगा।

(2) कोई भी रक्षक जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है या तर्कसंगत ढंग से ऐसा विश्वास किया जा रहा है को उसके उच्च पद के अधिकारी के आदेश के तहत दल के किसी भी सदस्य के द्वारा कस्टडी में ले लिया जायेगा और गार्डरूम में निरूद्ध किया जा सकेगा।

(3) रक्षक से उच्च पद का सदस्य अपने स्वयं के अधिकारी अथवा उच्चतर पद के अधिकारी द्वारा अभिरक्षा कस्टडी में लिया जा सकेगा और आवश्यक होने पर यूनिट के समादेशक अधिकारी के लिखित आदेश पर उसके क्वार्टर में निरूद्ध किया जा सकेगा।

(4) दल का कोई भी सदस्य किसी भी अपराध के लिए अन्वेषण के पूर्ण न होने पर चार दिन से अधिक तक अभिरक्षा में निरूद्ध (detained in custody) नहीं किया जायेगा।

**20. दल के सदस्यों के कर्तव्यः-**

(1) दल के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह प्रशासकीय समादेष्टा द्वारा या उनकी ओर से इस हेतु नामित अधिकारी द्वारा आदेशित ड्यूटी ड्रिल और शारीरिक या अन्य प्रशिक्षण को ग्रहण करेगा तथा अपने उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन करेगा।

(2) दल का प्रत्येक सदस्य जब वर्दी में होगा तब अपने प्रत्येक उच्चाधिकारी को सलाम करेगा।

**21. यूनिटों का प्रशासकीय प्रशिक्षण :-**

अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्राविधानों के अधीन राज्य सरकार ऐसे आदेश जारी कर सकती है जैसे वह प्रशासकीय कर्तव्यों का निर्वहन करने अभिलेखों तथा प्रारूपों के विघ्न के रख रखाव के साथ साथ यूनिट के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त समझती है।

**भाग -2**

## 22. इकाइयों का संघटन

(1) दल का मुख्यालय लखनऊ में होगा और इसके अधिकारियों तथा अन्य पदधारकों की पूरी क्षमता अनुसूची A में दर्शायी गयी।

(2) राज्य में पांच क्षेत्रीय मुख्यालय होंगे जो राज्य सरकार द्वारा अधि सूचित किये जायेंगे। इनमें से प्रत्येक में अधिकारियों तथा अन्य पदधारकों की पूर्ण क्षमता अनुसूची B में दर्शायी गयी है।

(3) अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल के अतिरिक्त अन्य जनपदों में दल में एक या एक से अधिक बटालियन होंगी। जैसा कि समय समय पर राज्य सरकार द्वारा आदेशित किया जाये।

(4) प्रत्येक तहसील में एक कम्पनी के आधार पर किसी भी बटालियन में चार कंपनियों से अधिक नहीं होगी। जिस जनपद में चार से अधिक तहसीलें होंगी उस जनपद में दूसरी बटालियन का गठन किया जायेगा। प्रत्येक बटालियन में अधिकारियों तथा अन्य पद धारकों की पूर्ण क्षमता अनुसूची C में दर्शायी गयी है। प्रत्येक कंपनी में चार प्लाटून होंगी और प्रत्येक कंपनी में अधिकारियों तथा अन्य पद धारकों की पूर्ण क्षमता अनुसूची D में दर्शायी गयी है।

(4) कंपनी के अन्य पद तहसीलों से चयनित ग्रुप लीडर या सेक्शन लीडर या दोनों होंगे। बचे हुए नामांकित सदस्यों से एक रिजर्व बनेगा जिसे रिजर्व दल के रूप में जाना जायेगा।

(5) रिजर्व दल में प्रत्येक गांव से एक सेक्शन लीडर टोलीनायक और 11 अन्य चार टोलियों को मिलाकर एक दलपति ग्रुपलीडर के अधीन एक ग्रुप बनाया जायेगा।

नोट :- अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल जनपदों में दल से संघटन संबंध में राज्य सरकार समय समय पर जैसा उचित समझे आदेश जारी कर सकती है।

## 23. समादेश एवं पदोन्नतियां (Command and Promotion)

(1) राज्य सरकार प्रत्येक जनपद में दल को एक समादेष्टा के कमांड में रखेगी जिसे जिला समादेष्टा के रूप में जाना जायेगा।

(2) राज्य सरकार अपने विवेक के अनुसार किसी भी अधिकारी को पदोन्नत या पदान्वत कर सकेगी।

## 24. नियुक्तिया :-

(1) राज्य सरकार अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रशासकीय समादेष्टा दल के किसी यूनिट कैम्प या मुख्यालय के अधिकारियों को तैनात कर सकेगी और ऐसे अधिकारी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में या एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरित कर सकेगी।

(2) प्रशासकीय समादेष्टा, क्षेत्रीय या जिला समादेष्टा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी सामान्य दिशानिर्देशों के अधीन किसी भी अधिकारी या रक्षक को किसी यूनिट का क्वार्टर मास्टर तथा कम्पनी के अन्य पदाधिकारी नियुक्त कर सकेंगे।

**25. अराजपत्रित अधिकारी :-**

(1) ग्रुप लीडर्स के निम्नलिखित ग्रेड होंगे :-

(i) हवलदार मेजर
(ii) क्वार्टर मास्टर हवलदार
(iii) हवलदार
(iv) लांस नायक
(v) नायक

(2) प्रत्येक कंपनी में हवलदार मेजर तथा क्वार्टर मास्टर हवलदार का सिर्फ एक पद होगा जबकि प्रत्येक प्लाटून में एक हवलदार दो नायक और तीन लांस नायक होंगे।

(3) क्षेत्रीय समादेष्टा द्वारा हवलदार और उपपैरा (1) में वर्णित अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कंपनी में नामांकित सदस्यों में से उस प्रकार से की जायेगी जिस प्रकार राज्य सरकार इसे उचित समझे।

**26. रैंक के बैज (Badges of Rank)**

(1) जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आदेशित न किया जाये सभी अधिकारियों द्वारा निम्नानुसार रैंक के बिल्ले कंधे पट्टी पर गिल्टी में पहने जायेंगी।

| रैंक | बिल्ले |
|---|---|
| **(a) राजपतित्रत अधिकारी** | |
| (1) प्रशासकीय समादेष्टा | एक अशोक चक्र और दो स्टार |
| (2) कैम्प कमांडेंट (शिविर समादेष्टा) | एक अशोक " एक " |
| (3) क्षेत्रीय समादेष्टा | एक चक्र |
| (4) जिला समादेष्टा | तीन स्टार |
| (5) कंपनी कमांडर | दो स्टार |
| (6) प्रशासकीय अधिकारी | दो स्टार |

**(a) अराजपत्रित अधिकारी**

| | |
|---|---|
| (1)..... | पट्टी पर दो छोटे स्टार |
| (2)..... | पट्टी पर एक छोटा स्टार |

(2) अराजपत्रित अधिकारी जब यूनीफार्म में हों प्रत्येक भुजा के ऊपरी भाग में बाहरी ओर निम्न विशिष्टकारी रैंकों के बैज राज्य सरकार के अनुमोदन पर पहनेंगे।

| | |
|---|---|
| (1) हवलदार मेजर | कलाई पर एक चक्र |
| (2) क्वार्टर मास्टर हवलदार | तीन पट्टियों पर एक चक्र |
| (3) हवलदार | तीन पट्टियां |
| (4) नायक | दो पट्टियां |
| (5) लांस नायक | एक पट्टी |

नोट :- यदि एक राजपत्रित अधिकारी दल में शामिल होने के समय सेना या पुलिस में उच्चतर रैंक धारण करता है तो उसे अपना रैंक बनाये रखने की अनुमति होगी ?

**27. यूनीफार्म (वर्दी) और व्यक्तिगत उपकरण**

(1) जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आदेशित न कर दिया जाये दल का प्रत्येक सदस्य ड्यूटी के समय एक यूनीफार्म पहनेगा जो ऐसी बनावट, पदार्थ रंग और विशिष्टकारी बैज की होगी जैसी की राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें।

(2) राज्य सरकार के निर्देश के क्रम में किसी भी सदस्य को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी यूनीफार्म वस्तुएँ, कपड़े एवं व्यक्तिगत उपकरण आदि राज्य सरकार के होंगे तथा स्वयं व्यक्ति द्वारा खरीदी गयी उक्त चीजें उस व्यक्ति की होंगी।

**28. रहने का स्थान तथा यूनिट के उपकरण :-**

राज्य सरकार द्वारा निश्चित किये गये पैमाने पर प्रत्येक यूनिट के मुख्यालय अथवा उस स्थान पर जहां पर कोई यूनिट या उसका कोई एक भाग ठहराया गया है ड्यूटी के दौरान रहने का स्थान तथा यूनिट के उपकरण प्रदान किये जायेंगे।

**29. राशन**

राज्य सरकार द्वारा निश्चित किये गये पैमाने पर प्रत्येक नामांकित सदस्य को जब ड्यूटी पर बुलाया जायेगा उसे राशन वितरित किया जायेगा।

**30. दस चुने हुए शहरों में इन नियमों का अनुप्रयोग :-**

दस चुने हुये शहरों (नाम से, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी तथा हमीरपुर) पर ये नियम यथावश्यक परिवर्तन (mutatis mutandis) के सिद्धान्त पर लागू किये जायेंगे।